भाग–III

कुलीगाड़ा–हिरूली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक – 08.00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 8986/2014)।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	इस कार्यालय के **पत्रांक 2225/12–1 दिनांक 31.03.2015** से सूचित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रांक 6168/12–1 **दिनांक 21.04.2015** द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं अभिलेखों के आलोक में सहमत। इस कार्यालय व प्रभागीय वनाधिकारी/याचक विभाग के उक्त पत्र, मय संलग्नकों के, संलग्न है **(संलग्नक– 1 से 5)।**
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने **वाले 0–10 व 10–20 व्यास** श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांकः– 29.04.2015

स्थानः– अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 & Fax (05962) 230397

पत्रांक 2225/ 12–1 दिनांक, अल्मोड़ा, 31.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– आपके द्वारा जनपद– अल्मोड़ा अन्तर्गत कुनीगाड़–हिरूली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार का ऑन–लाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 8986/2014)।

महोदय

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन–लाइन प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी। कृपया कमियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

1. आपके द्वारा प्रेषित ऑन–लाइन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली पंचायती भूमि में सम्बन्धित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है। जिसे याचक विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

2. प्रपत्र पार्ट–II का अवलोकन करने पर बिन्दु संख्या 16 में Recommendation letter (प्रपत्र) संलग्न नही है।

भवदीय,

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6168 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक, 21-04-,2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषयः– **कुनीगाड़ा–हिरूली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार (प्रस्ताव सं0 8986/2014)**

संदर्भः– आपकी पत्र सं0 2225/12–1 दिनांक 31.03.2015

महोदय,

संदर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 के कम में वन पंचायत कमेटी की अनापत्ति प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर ऑन लाइन प्रेषित की जा रही है तथा बिन्दु सं0 2 के कम में प्रपत्र भाग–2 पूर्ण कर पुनः ऑन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– **यथोपरि।**

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,अल्मोड़ा

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 18/04/2015 को वन पंचायत समिति भनोरिया कि आम बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत कुनियाड़ से हल्दी बाजार मोटर मार्ग का रामपुर पौखुड़िया से निर्माण ..... मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रही हैं उसमें वन पंचायत समिति भनोरिया को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं जिसमें समिति के निम्न सदस्यो द्वारा यह प्रतिभाग किया गया।

वन पंचायत सदस्य (पंच) भनोरिया — सचिव, — हस्ताक्षर

1. श्रीमती मथुरा देवी w/o स्व० रामोधार देवी
2. श्रीमती हीरामणि S/o स्व० श्री धौंकुरराम
3. [illegible] S/o स्व० श्री सुन्दरलाल जोशी
4. विपिन चन्द्र S/o श्री- गोकुलानन्द जोशी
5. मोहन S/o स्व० श्री- केदारदत्त जोशी
6. जानकी देवी w/o श्री त्रिलोक प्रसाद
7. लीला राम S/o श्री- लालीराम सभा बैठक
8.

18/04/2015

1. श्रीमती मथुरा देवी
2. श्रीमती हीरामणि
3. [illegible]
4. विपिन चन्द्र
5. मोहन
6. जानकी देवी
7. [illegible]

18/04/2015

प्रारुप–3

भाग–2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति कुनीगाड़ छिरली बाजार से मार्ग का रामपुर सौखिया तक विस्तार

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला अल्मोड़ा

(iii) जिला वन प्रभाग अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 1.3500 हे0

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: - वन पंचायत भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: चीड़ वृक्ष

(i) वन का प्रकार चैस्ट फॉरेस्ट

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व : 4

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न है

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - कोई नहीं

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूक्षरण की सम्भावना

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 1.50 K.M. नहीं

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण मे उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : विशेष नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : महत्वपूर्ण वन्य जीव नहीं।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : विस्तार सड़क में आवश्यक।

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य एवं न्यूनतम वन भूमि है।

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। है

24. **किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे** :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धातो के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हा, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण मे कार्य अब भी प्रगति मे है (हां/नहीं)

25. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे** :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। रिजर्व एवं संरक्षण वन भूमि

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। रिजर्व एवं संरक्षण वन भूमि।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्वीकृति संस्तुति की जाती है

स्थानः अल्मोड़ा

तारीखः 14-3-2015

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा